न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
06/2021	05/03/2021	17/11/2025

रामचन्द्र दत्तक पुत्र श्री देवा उम्र लगभग 46 वर्ष जाति धोबी निवासी ककरावदा हाल निवासी कोटा जिला कोटा राज०

अपीलान्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत ककरावदा जर्ये सरपंच महोदय ग्राम पंचायत ककरावदा पंचायत समिति इटावा तहसील पीपल्दा जिला. कोटा राज०
2 रामप्रसाद आत्मज श्री सुरजमल जाति धोबी निवासी ककरावदा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

रेस्पोडेन्ट

अपील बानाराजगी इन्तकाल नम्बर 550 दिनांक 05/06/2012 ग्राम पंचायत ककरावदा बहक रामप्रसाद

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ककरावदा द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 550 दिनांक 05/06/2012 बहक रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 विधि एवं विधान तथा न्यायिक सिद्धान्तों के पूर्णतया विरुद्ध है। जो खारिज किये जाने योग्य है। जो कृषि भूमि ग्राम ककरावदा पटवार हल्का ककरावदा तहसील पीपल्दा की जमाबंदी सम्वत 2066–2069 में खाता संख्या नयी 24 व खाता संख्या पुराना 19 में खसरा नम्बर 187 की रकबा 2.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 की रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 189 की रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 की रकबा 0.65 हैक्टेयर है। खसरा नम्बर 213 की रकबा 1.14 हैक्टेयर है, खसरा नम्बर 214 की रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 215 की रकबा 2.46 हैक्टेयर कुल किता 7 की कुल रकबा 8.06 हैक्टेयर में अपीलान्ट की दत्तक दत्तक माता नटट्टी पुत्री देवा जाति धोबी निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा का 1/3 हिस्सा नियत था जो अपीलान्ट ही कृषि कार्य करता था एवं कब्जे में चली आ रही थी। अपीलान्ट की दत्तक माता नटी बाई कृषि भूमि की देखभाल करने व वृद्धावस्था के कारण ग्राम ककरावदा ने निवास करती थी व अपीलान्ट रोजगार के सिलसिले मे अक्सर कोटा रहता था इसी का फायदा उठाते हुये रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 जो अपीलान्ट की माता का दूर के रिश्ते मे भतीजा लगता था जिसने अपीलान्ट की माता नटी बाई से कहा की बुआ तेरी वृद्धावस्था की पेंशन तहसील पीपल्दा जिला कोटा मे स्वीकृत होगी और नटी बाई रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की धोखाधडी एंव बैईमानी मे आ गई और दिनांक 09/04/2012 को तहसील पीपल्दा में ले गया और रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने बैईमानी पूर्वक धोखाधड़ी करते हुये अनपढ व अज्ञानता होने का फायदा उठाते हुये खाली पेपरो पर पेंशन का बताकर अंगुठा निशानी लगवा ली गई और बैईमानी पूर्वक अपीलाण्ट की माता नटटी बाई की अपील मे वर्णित कृषि भूमि 1/3 हिस्से का पंजीयन अपने हक मे करवा लिया अपीलाण्ट जिला कोटा से गाँव ककरावदा आया तो अपीलाण्ट की दत्तक माता नटी बाई ने अपने साथ हुई धोखाधडी के बारे मे बताया तो अपीलाण्ट व उसकी माता नटी बाई ने पुलिस थाना खातौली मे रिपोर्ट दी तो पुलिस थाना खातौली ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के खिलाफ धारा 420, 406, आई.पी.सी मे प्रकरण दर्ज कर एफ.आई.आर नम्बर 149/2012 दर्ज करके चार्जशीट संख्या 151/12 न्यायालय जे.एम साहब इटावा मे पेश की जो जेरकार है जिसमे आगामी तारीख पेशी 23/05/2021 नियत है। अपीलाण्ट की दत्तक माता नटी बाई की मृत्यु दिनांक

11/01/2018 हो गई व अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि मे कृषि कार्य करता चला आ रहा है तथा अपीलाण्ट तहसीलदार पीपल्दा के यहा पर नामान्तरण संख्या 550 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिये आवेदन 17.09.2020 को किया तो अपीलाण्ट को 05/10/2020 को नामान्तरण व नकले निकलवाने पर जानकारी हुई की अपीलाण्ट की मृतक माता नटी बाई के खातेदारी कृषि भूमि 1/3 हिस्से का पंजीयन बैईमानी पूर्वक धोखाधडी करके करवाया है उसके नामान्तरण संख्या 550 द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से मिलीभगत करके व साठ–गाठ करके अपने नाम नामान्तरण खुलवा लिया जो विधिक एवं न्यायिक सिद्वान्तो के पूर्णतया विरूद्ध है। अपीलाण्ट को रेस्पोडेट नम्बर 1 व 2 के उक्त गलत नामान्तरण खोलने का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 05/10/2020 को हुआ इसके बाद अपीलाण्ट ने सम्बन्धित रिकॉर्ड कि प्रतिया निकलवाई इसके बाद यह अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कि जा ही है। जो अवधि मध्य पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 550 दिनांक 05/06/2012 में ग्राम पंचायत ककरावदा द्वारा रेस्पोन्डेड नम्बर 2 के हक मे तस्दीक किया गया है। जो कृषि भूमि ग्राम ककरावदा मे खसरा नम्बर 187 की रकबा 2.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 की रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 189 की रकबा 0. 09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 की रकबा 0.65 हैक्टेयर है। खसरा नम्बर 213 की रकबा 1.14 हैक्टेयर है, खसरा नम्बर 214 की रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 215 की रकबा 2. 46 हैक्टेयर कुल किता 7 की कुल रकबा 8.06 हैक्टेयर का 1/3 हिस्से का नामान्तरण को निरस्त करने का आदेश प्रदान करने कि मेहरबानी फरमायें।

अपील अपीलान्ट की ओर से श्री बाबूलाल बैरवा एड0 ने पेश की। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि0 किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है परन्तु विलम्ब मर्शन हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर सुनवाई की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब अपील पेश किया जो अग्रलिखित है। विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट 2 के पक्ष में इंतकाल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खोला गया है। रजिस्टर्ड बैचान को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश कोटा में वाद पत्र पेश किया था। जो दिनांक 6.9.2021 को खारिज हो चुका है। इसलिए रेस्पोडेंट 2 के पक्ष में खोला गया इंतकाल सही है। इस कारण अपील खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट नटी बाई की बहिन भूली बाई का लडका है। जिसको अपील पेश करने का अधिकार नही है। पूर्व में कोटा में जो कार्यवाही की थी, वह इसके भाई ने वसीयत के आधार पर कार्यवाही की थी जो खारिज हो गई है। अब फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलान्ट कार्यवाही कर रहा है। जो कि खारिज होने योग्य है। जिला न्यायाधीश में कोटा की कार्यवाही अपीलान्ट के भाई ने की थी। इसलिए इंतकाल की जानकारी अपीलांट को थी। इसलिए अपील मियाद बाहर होने से स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट ने अपील में इन्तकाल जानकारी की दिनांक 5.10.2020 बताई है और अपील न्यायालय में 4. 3.2021 को पेश की है। इसलिए अपील स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाने की कृपा करे। हस्तगत प्रकरण में खातेदार नट्टीबाई पुत्री देवा ने ग्राम ककरावदा के तन की ख0नं0 187 रकबा 2.60है0, ख0नं0 188 रकबा 0.27है0, ख0नं0 189 रकबा 0.09है0, ख0नं0 190 रकबा 0. 65है0, ख0नं0 213 रकबा 1.14है0, ख0नं0 214 रकबा 2.46है0 कुल किता 7 कुल रकबा 8. 06है0 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 2 को बेचान कर उपपंजीयक पीपल्दा के कार्यालय में दिनांक 09.04.2012 को विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया है। उक्त रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर ही रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने नामान्तरण नं0 550 दिनांक 05.06.2012 को निर्णित कर दिया है। जिससे नटी के बजाय केता रामप्रसाद के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन हो रहा है। उक्त बेचान के लगभग साढे पांच वर्ष पश्चात नटी की मृत्यु हो गई है।

वादी द्वारा नटी की खातेदारी भूमि पर दत्तक पुत्र की हेसियत से खातेदारी अधिकार चाहे गये है। परन्तु नटी के दत्तक पुत्र होने बाबत कोई भी प्रकरण पेश नहीं किया है। बिना पुख्ता साक्ष्य के वादी को नटी का दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता है। यदि वादी को दत्तक पुत्र माना भी जाता है तब भी मृतका के नाम वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं है। यदि मृतका नट्टीबाई के नाम वर्तमान में कोई भूमि खातेदारी दर्ज हो तो ही इस उत्तराधिकार के प्रश्न पर विचार किया जा सकता था और प्रश्नगत बेचान फर्जी है या नहीं का विनिश्चय भी सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है एवं निंवसीयत लाऔलाद मृत्यु के मामलों के उत्तराधिकार संबंधित प्रश्न का विनिश्चय सिविल न्यायालय से कराने के लिए वादी स्वतंत्र है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा